छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम्

फरवरी–मार्च, 2025 सत्र

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिये अनुदानों की मांगों पर

कटौती प्रस्ताव

भाग - दो

मांग संख्या – 11, 18,

मांग संख्या – 3, 4, 5, 30, 80, 46, 47

मांग संख्या – 15, 33, 41, 42, 49, 53, 64, 66, 68, 82, 83, 13, 54,

मांग संख्या – 19, 79, एवं 50 से संबंधित

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र.	मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
1.	**श्री लखनलाल देवांगन**	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे
		18	श्रम	
2.	**श्री विजय शर्मा**	3	पुलिस	2 घंटे 30 मिनट
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		5	जेल	
		30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		46	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	
		47	तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	
3.	**श्री रामविचार नेताम**	15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2 घंटे
		33	आदिम जाति कल्याण	
		41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	
		42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल	
		49	अनुसूचित जाति कल्याण	
		53	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		64	अनुसूचित जाति उपयोजना	
		66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	
		68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन	
		82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
		13	कृषि	
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	

क्र.	मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
4.	**श्री श्याम बिहारी जायसवाल**	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2 घंटे
		79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	
		50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी–मार्च, 2025 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – दो में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
7. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
8. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
9. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य
10. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य
11. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
12. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
13. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
14. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
15. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य
16. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य
17. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
18. श्री संदीप साहू, सदस्य
19. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य
20. श्री इंद्र साव, सदस्य
21. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
22. श्री रामकुमार यादव, सदस्य
23. श्री फूलसिंह राठिया, सदस्य
24. श्री ओंकार साहू, सदस्य

मांग संख्या– 11

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 7,09,87,00.,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 11

1. **डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में बढ़ रही औद्योगिक दुर्घटनाओं के समुचित नियंत्रण की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में पूर्व से स्थापित वृहद, लघु एवं मध्यम प्रकृति के बंद हो रहे उद्योगों को पुर्नस्थापित करने की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) नगरनार स्टील प्लांट के संबंध में शासन की नीति का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नवीन उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में ज्वेलरी पार्क की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना एवं प्रोत्साहन का विशेष कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

औद्योगिक क्षेत्र कापन के विस्तार एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) उद्योगों से निकल रहे अपशिष्ट पदार्थो के निराकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में उद्योगों द्वारा हो रहे जल–प्रदूषण के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) उद्योगों से हो रहे वायु–प्रदूषण के रोकथाम के लिये किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 18

श्रम

मतदेय राशि | रूपये 2,55,31,09,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 16

1. **डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत मजदूरों को आर्थिक, सामाजिक विकास की कार्ययोजना में कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश के निजी उद्योगों में श्रम कानून एवं कारखाना अधिनियम श्रमिकों हित के अनुसार लागू करने की कार्ययोजना को कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   श्रमिक सुरक्षा, बीमा योजना का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) गरीब कल्याण योजना के लाभ से वंचित हितग्राहियों को लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की समग्र नीति का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) दैनिक मजदूरों के लिए सम्मान जनक आय सुनिश्चित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) श्रमिक सुरक्षा, बीमा योजना का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों का पलायन रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

5. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में इस मांग संख्या हेतु प्रावधानित राशि होने के बाद भी वास्तविक लाभार्थी तक योजना का प्रचार–प्रसार होने का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई नवीन एवं कारगार योजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में मजदूरों के पलायन रोकने का कोई प्रभावी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

7. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) श्रमिक कल्याण एवं श्रमिक के बच्चों को छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) राज्य के श्रमिकों के पोषण तथा संरक्षण–संवर्धन हेतु औद्योगिक सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अकलतरा में श्रमिकों हेतु अस्पताल खोलने का प्रावधान नहीं है।

9. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गरीब कल्याण योजना के लाभ से वंचित हितग्राहियों को लाभ दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 3

पुलिस विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 82,37,13,16,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 02

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश की महिलाओं एवं युवतियों के साथ बलात्कार एवं अमानवीय कृत्य करने वाले अपराधियों को शीघ्र सजा दिये जाने हेतु फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) पुलिस विभाग में नियमित पदोन्नति करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) महिला सुरक्षा हेतु विशेष महिला थाना स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में बढ़ते अपराधों के प्रभावी नियंत्रण की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में नगर सैनिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) प्रदेश में मादक पदार्थो की तस्करी पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

   (4) पुलिस विभाग में नियमित समयबद्ध पदोन्नति करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वुमेन सेल स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

   (6) जिला–बस्तर में नवीन थाना/चौकी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (7) चिटफण्ड घोटाले के हितग्राहियों को राशि वापस किये जाने का उल्लेख नहीं है।

   (8) साईबर क्राईम की घटनाओं के प्रभावी नियंत्रण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।

   (9) धर्मान्तरण पर कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।

   (10) प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के प्रभावी नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

   (11) प्रदेश में नक्सल समस्याओं के समाधान के लिए नीति का उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

भानुप्रतापुर विधान सभा अंतर्गत चारामा, भानुप्रतापपुर एवं दुर्गकोंदल में पुलिस क्वाटर निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बन्दियों के लिए अतिरिक्त संसाधन व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में मादक पदार्थो की तस्करी के नियंत्रण का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) पुलिस थाना अर्जुन्दा में अहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पुलिस थाना देवरी, सुरेगांव में स्टॉफ क्वाटर निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(3) पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु बजट का उल्लेख नहीं है।

(4) नवीन पुलिस चौकी बेलौदी विकासखण्ड गुण्डरदेही की स्थापना हेतु पदों का एवं पुलिस चौकी निर्माण का उल्लेख नहीं है।

8. **श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु बजट में उल्लेख नहीं है।

9. **श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय नगरी से 20 कि.मी. दूरी पर बेलर गांव स्थित है क्षेत्र संवेदनशील होने से स्थानीय ग्रामीण/जनप्रतिनिधि ''बेलरगांव'' में पुलिस चौकी की मांग की गई है, का कोई उल्लेख नहीं है।

10. **श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) क्षेत्र में नवीन चौकी व नवीन थाना खोलने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

11. **श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

आरक्षकों के वेतन की विसंगति को दूर करने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमीं की जावे.**

(1) राज्य स्तर पर पुलिसिंग को आधुनिकीकरण के स्तर पर अत्याधुनिक हथियारों की क्रय का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पुलिस विभाग के अंतर्गत सुरक्षा एवं घोर नक्सली क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों के लिये भत्ता का उल्लेख नहीं है।

13. श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु बजट का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र में नवीन पुलिस थाना खोलने हेतु का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम हेतु कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत थाना एवं चौकी आधुनिकीकरण हेतु बजट का काई उल्लेख नहीं है।

15. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पुलिस आधुनिकीकरण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कोटमीसुनार में नवीन चौकी स्थापना हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

16. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला में जरूरतमंद स्थानों पर नवीन पुलिस सहायता केन्द्र प्रांरभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

17. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में हो रही लगातार सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

18. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम–ढारा विकासखण्ड–डोंगरगढ़ में पुलिस चौकी खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये सायकल भत्ते को बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में हो रहे धर्मान्तरण के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) पुलिस विभाग में अत्याधुनिक हथियारों की खरीदी का उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश में नगर सैनिकों के वेतन वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 4

गृह विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 1,41,64,25,,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 02

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में मारे जा रहे निर्दोष आदिवासियों की सुरक्षा हेतु कार्ययोजना का प्रावधान नहीं है।

   (2) प्रदेश में हो रहे मादक पदार्थो के परिवहन एवं तस्करी को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) चिटफंड घोटाले के हितग्राहियों को राशि वापस किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में महिला उत्पीड़न, बलात्कार, अमानवीय कृत्य के रोकथाम की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सुधार का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरस्त करने कोई ठोस प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में महिला अपराधों के प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में साईबर ठगी के नियंत्रण हेतु कोई प्रभावी कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के सुधार के उपाय की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) पुलिस थानों एवं चौकियों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होने से कानून व्यवस्था की बनाये रखने में शासन–प्रशासन को परेशानी हो रही है।

(2) प्रदेश के नगरीय निकायों में अग्निशमन को आधुनिकीकरण तथा अग्निशमन फोर्स में नई नियुक्तियों का समावेश नहीं होने के कारण बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(3)

8. **श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

चिटफंड कंपनी, फर्जी शेयर मार्केट में धोखाधड़ी को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

चिटफंड कंपनी, फर्जी शेयर मार्केट में धोखाधड़ी को रोकने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 5

जेल

मतदेय राशि रूपये 2,78,99,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 3

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश की जेलों में निरूद्ध कैदियों के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक विकास की कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जेल क्षमता वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 30

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 80,55,65,97,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 22

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के भवन–विहीन ग्राम–पंचायतों में भवन–निर्माण की योजना का कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) प्रदेश में बन्द पड़े रीपा केन्द्रों को पुनः प्रारंभ करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) ग्राम पंचायतों में कार्यरत वी.एल.ई. को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) रोजगार सहायकों को नियमित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) ग्राम–पंचायतों में कार्यरत सफाई कामगरों के मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है।

   (6) ग्राम पंचायतों में कार्यरत वी.एल.ई. के मानदेय का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) मनरेगा के समुचित विस्तार हेतु बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) पंचायत सचिवों को नियमित करने के बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) सरकार तुंहर द्वार योजना के तहत ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर पर डेढ़ लाख बेरोजगार युवकों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) हर पंचायत भवन में बैंकों के नगदी आहरण काउंटर स्थापित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के निर्माण हेतु क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनः निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का उल्लेख नहीं है।

   (3) पंचायतों को सशक्त करने का उल्लेख नहीं है।

   (4) ग्रामीण क्षेत्रों में घर में शौचालय निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (5) सरकार तुंहर द्वार योजना का उल्लेख नहीं है।

   (6) पंचायत में संचालित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश की पहचान नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना का उल्लेख नहीं है।

(8) पंचायत विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र बस्तर के ग्राम पंचायतों में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(9) बस्तर विधानसभा अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सड़कों की मरम्मत एवं नवीन सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(10) मुख्यमंत्री समग्र विकास योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत सामुदायिक भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(11) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों का सौंदर्यीकरण का उल्लेख नहीं है।

(12) मनरेगा की समुचित विस्तार हेतु बजट का उल्लेख नहीं है।

(13) महात्मा गांधी/ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(14) मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना का उल्लेख नहीं है।

(15) ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचों के सुदृढ़ करने हेतु आदर्श ग्राम विकास योजना का उल्लेख नहीं हैं।

(16) ग्रामीण उद्योगों (रीपा) की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(17) गांव के किसानों के खेत तक पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(18) पंचायत सचिवों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पंचायतों को सशक्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न कार्यों में नवीन ग्राम पंचायतों का उल्लेख नहीं है।

(3) मुख्यमंत्री सड़क योजना अंतर्गत विधानसभा गुण्डरदेही के सड़कों का उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विधानसभा के किसी भी सड़क को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(5) जिला–बालोद, विकासखंड–गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम–माहुद से बघेली भांठा सड़क मार्ग के संधारण/नवीनीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(6) गुण्डरदेही विधानसभा अंतर्गत बचांदुर से सकरौद पहुंच मार्ग का नवीनीकरण कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(7) जिला बालोद विकासखंड गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम खल्लारी से मुंदेरा पहुंच मार्ग के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

(8) जिला बालोद विकासखंड गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम परसदा से डंगनिया पहुंच मार्ग के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

6. **श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) ग्राम देऊरपारा पंचायत छिपलीपारा तहसील नगरी जिला धमतरी के कर्णेश्वर धाम में स्वागत द्वार का निर्माण लागत 10.00 लाख का उल्लेख नहीं है।

(2) ग्राम मेचका पंचायत सोंढूर विकासखण्ड नगरी जिला धमतरी में स्वागत द्वार का निर्माण लागत 10.00 लाख का उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम राजाडेरा पंचायत परसागुड़ा विकासखण्ड मगरलोड जिला धमतरी में स्वागत द्वार का निर्माण लागत 10.00 लाख का उल्लेख नहीं है।

(4) ग्राम सिहावा पंचायत छिपलीपारा विकासखण्ड नगरी जिला धमतरी के जय मां शीतला धर्मार्थ सेवा समिति सिहावा में सामुदायिक भवन का निर्माण लागत 40.00 लाख का उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम सिहावा पंचायत छिपलीपारा विकासखण्ड नगरी जिला धमतरी के जय मां शीतला धर्मार्थ सेवा समिति सिहावा में रोड/पेपर ब्लॉक का निर्माण लागत 35.00 लाख उल्लेख नहीं है।

(6) ग्राम देवरपारा पंचायत छिपलीपारा विकासखण्ड नगरी जिला धमतरी के कर्णेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट देऊरपारा सिहावा में सामुदायिक भवन का निर्माण लागत 40.00 लाख का उल्लेख नहीं है।

(7) ग्राम व पंचायत सिहावा विकासखण्ड नगरी जिला धमतरी के चण्डी दुर्गा काली मंदिर गुफा के रोड चौड़ीकरण 200 मीटर सी.सी.रोड पेयजल हेतु बोर खनन का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के पहुंच विहीन ग्रामों में पहुंच मार्ग निर्माण की कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पंचायत सचिवों के नियमितीकरण हेतु बजट में प्रावधान नहीं है।

9. **श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत उमरवाही में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत सिघाभेड़ी में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत चिल्हाटी में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत निरपेमेरा में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत ओटेबांधा में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत जोंधरा में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत चारभाठा में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत तेलीनबांधा में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत शिकारीटोला में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत नागरकोहरा में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत भण्डारपुर में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत पुर्दामटोला में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत बड़गांव में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत कलडबरी में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(15) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत धोटिया में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(16) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत सागर में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(17) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत लक्ष्मण भरदा में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पंचायत सीताकसा 3 में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(19) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–छछानपहरी में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(20) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–लाटमेटा, ग्राम–पंचायत घुपसाल में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(21) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–गिदौरी में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(22) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पण्डरी पथरा, ग्राम–पंचायत गहिराभेड़ी में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(23) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–धारेतलाव में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(24) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–पांगरीखुर्द में मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(25) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–धुपसाल कु. में मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(26) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–देवरी, ग्राम पंचायत कन्हारपुरी में नवीन मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(27) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र ग्राम–गोपालपुर में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) स्वामी आत्मानंद स्कूल डोंगरगढ़ के खेल मैदान में मिनी स्टेडियम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पंचायत विभाग में रोजगार उन्मुख योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) जल जीवन मिशन अंतर्गत क्षतिग्रस्त हुये ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(4) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत विधानसभा डोंगरगढ़ के किसी भी सड़क का उल्लेख नहीं है।

(5) ग्राम कलेवा, कांकेतरा, सिंगपुर विकासखण्ड राजनांदगांव एवं ग्राम टोलागांव विकासखण्ड खैरागढ़ में नवीन पंचायत भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

11. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में निर्मित रीपा का रख–रखाव करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में निर्मित गौठानों के रख–रखाव का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत चिल्हाटी में महतारी सदन का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(4) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगवां में महतारी सदन का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(5) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकारी में महतारी सदन का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(6) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत सोन में महतारी सदन का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(7) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बकरकुदा में महतारी सदन का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

(8) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत सीपत में महतारी सदन का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री फूलसिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पंचायत सचिवों के संविलियन का उल्लेख नहीं है।

13. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पंचायत सचिवों के संविलियन का उल्लेख नहीं है।

14. **श्री संदीप साहू , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विधानसभा क्षेत्र कसडोल अंतर्गत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण एवं मरम्मत हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

15. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विधानसभा जांजगीर चांपा अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख तालाबों के सौंदर्यीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा जांजगीर चांपा अंतर्गत ग्रामों में नवीन पंचायत भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

16. **श्री ओंकार साहू , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में गौठानों के विकास के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

17. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने एवं सड़कों को गांव तक जोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायतों में सामुदायिक भवन निर्माण का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांव में गौरवपथ निर्माण का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(4) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गौठानों के संचालन व्यवस्थित रख–रखाव हेतु विशेष कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(5) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर शौचालय निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

18. **श्री बालेश्वर साहू , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विधानसभा जैजैपुर के झालरौदा–कोसमपाली से आमापाली तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा जैजैपुर के ग्राम–झालरौदा से आमापाली तक चिंखरौंदा से आमापाली तक सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

19. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कापन से रायपुर पहुंच मार्ग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पंचायत सचिवों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में रोजगार मूलक योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के पंचायत विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान नहीं है।

20. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के ग्राम पंचायतों में अवागमन की सुगम व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 40,25,76,69,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 22

1. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के ग्राम पंचायतों में नगदी आहरण हेतु काउंटर खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्राम पंचायतों को सशक्त करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 46

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मतदेय राशि रूपये 64,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 41

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या– 47

तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मतदेय राशि रूपये 4,74,08,04.,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 42

1. **डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**
   (1) प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह दिये जाने की योजना का प्रावधान नहीं है।
   (2) प्रदेश के तकनीकी शिक्षक संस्थाओं में आधुनिकी उपकरणों, संसाधनों की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

2. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह दिये जाने की योजना का प्रावधान नहीं है।

3. **श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   बेरोजगारों को रोजगार व बेरोजगारी भत्ता देने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**
   प्रदेश में लगातार हो रही बेरोजगारी वृद्धि की समस्या के निराकरण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 15

अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये 2,29,45,38,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या– 33

आदिम जाति कल्याण

मतदेय राशि रूपये 1,55,28,40,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –25

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के कन्या छात्रावासों/आश्रमों/पोटा केबिन में रह रही छात्राओं की सुरक्षा एवं संरक्षण की योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति बच्चों के बेहतर शिक्षा हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(2) आदिवासी छात्रों के लिये विश्व स्तरीय आवासीय विद्यालय बनाने हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के महासमुन्द जिला अंतर्गत विकासखण्ड बागबहरा में आवासीय हॉस्टल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(2) महासमुन्द जिला के बागबहरा में इस विभाग राशि प्रावधानित होने के बाद भी जल आपूर्ति सही ढंग से नहीं होने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में संचालित छात्रावास/आश्रम के भोजन सहायता योजना एवं शिष्यवृत्ति में वृद्धि नहीं किया गया है का उल्लेख नहीं है।

(2) बिलासपुर जिला अंतर्गत जर्जर छात्रावास भवन के लिए नवीन भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित छात्रावासों में सीट वृद्धि करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगवां में प्री–मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) बिलासपुर जिला अंतर्गत भवन विहीन छात्रावास में भवन निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालयों के अधोसंरचना के विकास का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों/आश्रमों/पोटा केबिन में रह रही छात्राओं के यौन उत्पीड़न रोकने की योजना का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 41

अनुसूचित जनजाति उपयोजना

मतदेय राशि रूपये 3,82,71,21,50,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –49

श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में इस मद में राशि प्रावधानित होने के बाद भी इसका सफल संचालन में कमी है एवं पर्याप्त सुविधायें नहीं मिल रही है का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में चारागाह उत्पादन योजना का धरातल में लाभ होते दिखाई नहीं दे रहा है। इस हेतु खल्लारी विधानसभा हेतु राशि की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 42

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सड़कें और पुल

मतदेय राशि रूपये 18,14,54,30,000.

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

महासमुंद जिले के खल्लारी विधानसभा के पिचौरा विकासखण्ड अंतर्गत कार्य स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 49

अनुसूचित जाति कल्याण

मतदेय राशि रूपये 2,73,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या– 53

अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये 1,98,83,67,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

महासमुंद जिला के खल्लारी विधानसभा के लिये राशि का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 64

अनुसूचित जाति उपयोजना

मतदेय राशि रूपये 1,37,92,00,21,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 50

1. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत कोई कार्य का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 66

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

मतदेय राशि रूपये 2,91,03,50,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 25

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में निवासरत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण की किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिये कोई योजना का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 68

अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–भवन

मतदेय राशि **रूपये 2,61,65,10,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन्दा में पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 82

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि **रूपये 4,61,20,98,000**

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

1. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारी कमीशनखोरी की जाती है, इसे रोकने के लिए ठोस उपाय करने का प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 83

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये 2,83,14,71,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 49

कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या– 13

कृषि

मतदेय राशि रूपये 70,56,53,60,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 14

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के किसानों की कर्जमाफी की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) कृषि उत्पादों के भण्डारण हेतु भण्डारगृह निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

   (3) किसानों की कर्जमाफी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

   (4) 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एक एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी हेतु एकमुश्त नगद राशि भुगतान का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) प्रदेश में निर्मित गोठानों के रखरखाव व संचालन का कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   किसानों को धान का राशि एकमुश्त में भुगतान किए जाने का प्रावधान नहीं है।

4. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के निर्मित गोठानों के रख–रखाव एवं संचालन का उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने का कोई ठोस योजना का उल्लेख नहीं है।

6. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में कृषि पर्यटन हेतु राशि प्रावधानित है किन्तु खल्लारी विधानसभा के लिए राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।

7. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नवीन शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय भालूकोन्हा (अर्जुन्दा) के बाऊंड्रीवाल एवं नियमित संचालन हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) समेकित उद्यानिकी योजना अंतर्गत उद्यान रोपणी अर्जुन्दा में नवीन भवन एवं नियमित संचालन हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–भुखाभाट में नवीन धान खरीदी केन्द्र आरंभ का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों के उत्पाद के विक्रय हेतु बाजार व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।

9. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर जिले के अकलतरा विकासखण्ड में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के किसानों की ऋण माफी की कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

11. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मस्तुरी विधानसभा में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के किसानों का कर्जमाफी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को चौथी किस्त भुगतान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में सड़कों पर घूम रहे मवेशियों से हो रहे दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में सड़कों पर घुम रहे मवेशियों से हो रहे दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिये किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है।

(2) 100 किसानों हेतु आवासीय कृषक प्रशिक्षण केन्द्र डोगरगढ़ में खोलने हेतु उल्लेख नहीं किया गया है।

मांग संख्या– 54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 4,56,26,66,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 14

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के उद्यानिकी किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों, फलों के संरक्षण संवर्धन एवं भण्डारण की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   विश्वस्तरीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जिला बालोद में कृषि महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पामगढ़ विधान सभाा क्षेत्र अंतर्गत खरौद में कृषि महाविद्यालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

5. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) जिला स्तर पर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में किसानों को उन्नत बीज प्रसंस्करण एवं उन्नत कृषि हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।

   (2) जिला बलौदाबाजार में उद्यानिकी महाविद्यालय एवं नर्सरी प्रसंस्करण विज्ञान केन्द्र की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

   (3) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के अंतर्गत नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने/स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   जांजगीर स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र में मूलभूत सुविधा विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मतदेय राशि रूपये 47,29,82,93,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –17

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के शासकीय चिकित्सालय में जीवन रक्षक दवाईयों/उपकरणों के समुचित व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) 500 नये जन औषधि केन्द्र खोले जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) डॉक्टरों के लिये विशेष सुररक्षा कानून कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में सिकलसेल के मरीजों को निःशुल्क ईलाज किये जाने संबंधी किसी योजना का कोई का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) राज्य में नए जनऔषधि केन्द्र सुनिश्चित कर सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) आयुष्मान भारत योजना को पांच लाख से दोगुना कर दस लाख करने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बूचाटोला के स्वास्थ्य केन्द्र में आहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोलापुर में पद सेटअप का उल्लेख नहीं है।

   (3) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उमरवाडी में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

   (4) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के आमाटोला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(5) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुमरदा में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(6) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रंगीटोला में स्वास्थ्य केन्द्र में आहाता निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ग्राम मोंहदीपाट, विकासखण्ड गुण्डरदेही में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगर पंचायत अर्जुन्दा में मर्च्युरी निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगर पंचायत अर्जुन्दा में अहाता एवं स्टाफ क्वाटर (1 यूनिट) का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) गुण्डरदेही विधान सभा अंतर्गत कान–राहुद में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम सिलोसा हेतु भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

7. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जिला बालोद अंतर्गत संचालित शासकीय अस्पतालों के उन्नयन का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जिला बालोद अंतर्गत संचालित अस्पतालों में चिकित्सक/विशेषज्ञ के पदों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सिहावा विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय नगरी में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल है, जिसे 100 बिस्तर में उन्नयन किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुन्द जिला अन्तर्गत खल्लारी विधान सभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घोंच हेतु किसी भी प्रकार के राशि का उल्लेख नहीं है।

11. श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के जल स्त्रोंत विहीन ग्रामों में पेयजल व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाईयों की समुचित व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) कसडोल विधान सभा क्षेत्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कसडोल में 100 बिस्तर के अस्पताल में उन्नयन नहीं करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा अंतर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक उपयोग हेतु सी.टी. स्कैन, एक्स–रे एवं अन्य मशीनों का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकलतरा के क्षमता विस्तार का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) अकलतरा विकासखण्ड के ग्राम किरारी में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगढ़ (अछोली) के सामने सर्वसुविधा युक्त पार्किंग निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घुमका में नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) ग्राम कलकसा विकासखण्ड खैरागढ़ में उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरा में नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगढ़ (अछोली) में नवीन एवं सर्वसुविधा युक्त एक्स–रे एवं सी.टी. स्कैन मशीन स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

15. श्री फूलसिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितिकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शासकीय अस्पतालों में रिक्त पदों पर चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधोसंरचना विकास मद का कोई उल्लेख नहीं है।

17. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मस्तुरी विधान सभा अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगवां में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मस्तुरी विधान सभा में 100 बिस्तर अस्पताल खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में रिक्त डॉक्टरों एवं स्टॉफ की भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 79

चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 19,77,02,58,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –16

श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या– 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 4,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –23

डॉ. चरण दास महंत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विभाग में सक्रियता की कमी है। इसकी गतिविधियां लगभग शून्य है। इसे सुधारने का कोई उल्लेख नहीं है।